कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हापुड़।

पत्रांक/मान्यता/ 2705-06 /2019-20 दिनांक 31-05-2019

प्रबन्धक,
विकास प्रोग्रेस स्कूल,
[illegible] सैद, सिम्भावली [illegible], हापुड़।

विषय– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन हेतु उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रदान पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र और इसके सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के सन्दर्भ में विकास प्रोग्रेस स्कूल, [illegible], सिम्भावली, [illegible], हापुड़ को नर्सरी से 08 तक (अंग्रेजी माध्यम) हेतु दिनांक 31.03.2019 से दिनांक 31.03.2022 तक तीन वर्षों की अवधि के लिये औपबंधिक मान्यता का दिया जाना संसूचित करना है–

1. मान्यता के ऊपर दी गई संस्तुति स्थानान्तरणीय नहीं है और किसी भी रूप में कक्षा 8 के बाद मान्यता/सम्बद्धता प्रदान करने के अधिकार के निर्वचित नहीं कर सकता।
2. विद्यालय निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011, के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा एक में, कक्षा की सदस्य संख्या के 25 प्रतिशत तक पास-पड़ोस के कमजोर वर्ग और अलाभित समूह के बालकों को प्रवेश देगा और इनको शिक्षा पूर्ण होने तक निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध करायेगा, परन्तु अग्रेतर यह कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी यह सन्नियम का पालन किया जायेगा।
4. प्रस्तर तीन में सन्दर्भित बालकों के लिये विद्यालय यदि, अधिनियम की धारा 12 (2) के अधीन आच्छादित हो तो नियमावली के अनुसार प्रतिपूर्ति दी जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्तियों को प्राप्त करने के लिये विद्यालय अलग से बैंक खाता उपलब्ध करायेगा।
5. समिति/विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति शुल्क संग्रह नहीं करेगा और बालक अथवा उसके माता-पिता या अभिभावक को किसी चयन प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय प्रवेश से वंचित नहीं करेगा–
(क) बालक का आयु प्रमाण पत्र न होने पर,
(ख) धर्म, जाति अथवा नस्ल, जन्म स्थान अथवा उनमें से किसी आधार पर।
7. विद्यालय निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करेगा:
(एक) किसी विद्यालय में प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक प्रवेश दिये गये किसी बालक को किसी कक्षा में नहीं रोका रखा जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा,
(दो) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न का भागी नहीं बनाया जायेगा,
(तीन) किसी भी बालक से प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं है,
(चार) प्रत्येक बालक को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने पर नियम 23 के अन्तर्गत निर्धारित के अनुसार एक प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा,
(पांच) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों का अन्तर्वेशन,
(छः) अध्यापक निजि अध्यापन क्रिया-कलापों के निमित्त स्वयं को नहीं लगायेगा।
8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय छात्रों का नामांकन विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में करेगा जैसा कि अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट किया गया है।
10. विद्यालय परिसर के भीतर या विद्यालय के बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलाई जायेंगी।
11. विद्यालय सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम–1860 (अधिनियम संख्या–21 सन् 1860) के अधीन पंजीकृत समिति या तद्समय प्रवृत्त किसी विधि के विधि के अधीन गठित किसी सार्वजनिक न्यास द्वारा संचालित किया जाता है।
12. विद्यालय किसी समूह या व्यक्ति संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों की प्रसुविधा के लिये संचालित नहीं किया जाता है।
13. लेखाओं की संपरीक्षा और प्रमाणन किसी चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा किया जाना चाहिये और नियमानुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जानी चाहिए।
14. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा, जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित की जायें और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे प्राधिकारी के अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों की निरन्तर पूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु विद्यालय की कार्यप्रणाली की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जायें।
15. समिति के पंजीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हों को सुनिश्चित किया जायें।
16. विद्यालय प्रबन्ध/न्यास और कर्मचारी वर्ग समय–समय पर जारी किये गये राज्य सरकार के निर्देशों का अनुपालन करेगा।
17. अगर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सक्षम अधिकारी किसी भी माध्यम से भविष्य में यह तथ्य संज्ञानित होता है कि यह मान्यता विद्यालय/प्रबन्धक द्वारा विभाग को तथ्यगोपन कर प्राप्त की गयी है अथवा विद्यालय को पूर्व मे ही कोई मान्यता प्रदान की गयी है, तो यह मान्यता स्वतः निरस्त माना जायेगा एवं विभाग/सक्षम अधिकारी, विद्यालय प्रबन्धक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगा।

(देवेन्द्र गुप्ता)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
हापुड़।

पृ0सं0/मान्यता/ /2019–20 तद् दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित:–

1. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), प्रथम मण्डल मेरठ।
3. संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी, को इस निर्देश के साथ कि वे समय–समय पर विद्यालय का निरीक्षण कर देख लें कि विद्यालय उपरोक्त प्राविधानों का सम्यक अनुपालन कर रहा है कि नही, यदि अनुपालन नही किया जा रहा है, तो तत्काल इस सम्बन्ध में आख्या कार्यालय को प्रेषित करें।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
हापुड़।